HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17180/2026
CNR: RJHC021047932026 | URN: CRLMB / 31661U / 2026

Daan Singh Gurjar @ Ravi S/o Shri Jagdish, R/o Anil Colony, Satalka, Bhiwadi, Police Station Bhiwadi, District Khairthal Tijara, At Present Resident Of A-437, Rsv Colony, Bhiwadi, District Khairthal Tijara (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Bharatpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Chand Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **123/2025** अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी एवं डी आईटी एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अनुसंधान के बाद केवल यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने सहअभियुक्त गौरव लुहार जिसके खाते में साइबर ठगी की राशि आई है, का खाता बिकवाने में मदद की थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी के खाते में कोई राशि नहीं आई है, न ही कोई राशि उसने प्राप्त की है। उनका यह भी तर्क है कि वह कैंसर का मरीज है जिसका एक बार ऑपरेशन हो चुका है तथा वर्तमान में भी

उसका इलाज चल रहा है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के केवल व्हाट्सएप पर की गई बातचीत के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वह दिनांक 25.05.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वेषण पूर्ण होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त सहअभियुक्त योगेश के साथ लगातार मैसेज करता था और वह भी उसके साथ मिलकर कार्य करता था, जैसा कि साक्षी अनिल कुमार ने अपने कथन में प्रकट किया है एवं यह उसके फोन की व्हाट्सअप चैटिंग से भी प्रकट हो रहा है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त भी उक्त साइबर ठगी में शामिल है। उसके विरूद्ध गम्भीर अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त योगेश कुमार के बैंक खाते को साइबर ठगी के लिए बिकवाने में सहयोग किया एवं उक्त खाते का उपयोग साइबर ठगी के लिए किया गया। अनुसंधान से यह सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्त योगेश के मध्य व्हाट्सएप चैटिंग हुई है एवं दोनों का साथ में मिलकर धोखाधड़ी किया जाना प्रकट हुआ है। इस सम्बन्ध में दोनों का साथ मिलकर काम करना गवाह अनिल कुमार के कथन धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आया है। प्रकरण में कुल 83 लाख रूपये से अधिक राशि की ठगी किया जाना समक्ष आया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित रूप से साइबर ठगी किया जाना प्रकट हो रहा है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों

को उनके मोबाईल पर विज्ञापन, प्रलोभन देकर लाखों रूपये की राशि प्राप्त कर ठगी कारित करते हैं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/46/AJAY KUMAR SINGHAL